न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 58/17 GCMS NO 2017/00121

1. रामसहाय पुत्र जगन जाति कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. केशी पत्नि मनीराम पुत्री जगन
3. पप्पी पत्नि बबलू पुत्री जगन जातियान कोली निवासीयान वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
4. ओमी पत्नि बाबू पुत्री जगन
5. शकुन्तला पत्नि पप्पू पुत्री जगन जातियान कोली निवासीयान मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
6. राकेश
7. केदार पिसरान तोता जातियान कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
8. बुद्वि पत्नि परमोली पुत्री तोता जाति कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. बाढा पत्नि लाला पुत्री तोता जाति कोली निवासी खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
10. रामदेई बेवा लोहडे
11. राधे पुत्र लोहडे
12. सुरेश पुत्र लोहडे
13. संदेश पुत्र लोहडे जातियान कोली निवासीयान खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
14. माया पत्नि संदेव पुत्री लोहडे
15. सुशीला पत्नि ओमप्रकाश पुत्री लोहडे जातियान कोली निवासी निठार तहसील बैर जिला भरतपुर

अपीलांट

बनाम

1. हल्लू पुत्र नत्थी
2. रामधन पु नत्थी जातियान कोली निवासीयान खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. हुकमी पत्नि कन्हैया पुत्री नत्थी जाति कोली निवासी निठार तहसील बैर जिला भरतपुर
4. रामप्रसाद पुत्र स्व0भोरया दत्तक पुत्र लिखमा जाति कोली निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे टोडाभीम जिला करौली
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली
6. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली

(अपील विरूद्व मु0नं0 34/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुरेश चंद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री महेश पण्डा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 15.01.2025

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 30.6.17 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनरथ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा एक दावा इस्तकरारहक एवं डिविजन आफ होल्डिग एवं हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल ख0न0 450 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बोंरिग, 451 रकबा 45 ऐयर, 448 रकबा 29 ऐयर जिनका सम्वत 2043 के मिलान क्षैत्रफल मे सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख0न0 195 रकबा 3 बीघा बारानी स्थित ग्राम खानपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिनका फर्द मुताबिक साबिक सम्वत 2000 से 2014 के अनुसार साबिक ख0न0 195 का साबिक ख0न0 141 रकबा 3 बीघा ग्राम खानपुर मे स्थित है। जो साबिक मे गुल्ला पुत्र बूधा धोबी साकिन देह के नाम सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 1984 के आसपास शिवजी काश्तकार था। वादीगण के बाबा एवं प्रतिवादी न0 1 ता 14 के बाबा तथा प्रतिवादी न0 2 व 8 के ददिया ससुर एवं प्रतिवादी न0 3 ता 7 एवं प्रतिवादी न0 9 ता 13 के बड दादाा सोन्या अपने गांव पदमपुरा को छोडकर अपनी पत्नि तीजो मय परिवार के अपनी ससुराल खानपुर मे सम्वत 1984 के आसपास रहने आ गये और उस समय गुल्ला बल्द बूधा धोबी ने भूमि काश्त नही करने एवं सरकार लगान अदा नही करने के कारण वादीगण की दादी तीजो को धर्म बेटी मानकर व वादीगण के बाबा सोन्या को जमाई मानकर उक्त भूमि को काश्त करने हेतु बता दिया। उसी समय से ही वादीगण की दादी तीजो एवं बाबा सोन्या उक्त भूमि को काश्त करने लग गये थे। उक्त आराजी को वादीगण के बाबा एवं वादी ने कडी मेहनत से काफी धन खर्च करके उपजाउ बनाया तथा आराजी वादीगण के बाबा व दादी की कब्जा काश्त की भूमि है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सजरा खानदान अनुसार हिन्दु परिवार के सदस्य है। सजरा अनुसार सोन्या के तीन पुत्र गेन्दया,नत्थी व नोरया दर्ज है। जिनमे गेन्दया के वारिसान वादीगण एवं नोरया के वारिसान प्रतिवादी न0 14 रामप्रसाद है। जो अपने नाना लिखमा के गोद चला गया। सोन्या व दादी तीजो काफी वृद्व व असहाय होने के कारण सोन्या का बडा लंडका गेन्दया कर्ता खानदान होने से व दोनो लडके नत्थी एवं नोरया नाबालिग होने से उक्त आराजी की खातेदारी बडे लडके गेन्दया के नाम दर्ज करवा दी। जो जमाबंदी सम्वत 1995–99 मे गेन्दया बल्द सोन्या दर्ज है। लेकिन कब्जा तीनो पुत्रो का अपने पिता के साथ से चला आ रहा था। नोरया की मृत्यु करीब 50 साल पूर्व हो गई तथा नोरया की पत्नि गोमती को गेन्दया द्वारा मारपीट कर भगा दिये जाने से गोमंती अपने पुत्र रामप्रसाद को लेकर अपने पीहर टोडाभीम मे मॉ बाप के पास आ गई और गोमती के पुत्र रामप्रसाद को 10–11 साल की उम्र मे उसके नाना लिख्मा ने गोद ले लिया। और नाना लिख्मा द्वारा ही रामप्रसाद की शादी की तथा लिख्मा की चल अचल सम्पति की पर रामप्रसाद ही काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार सोन्या द्वारा छोडी गई चल व अचल सम्पति मे रामप्रसाद का कोई संबंध नही है केवल सोन्या के दोनो पुत्रो गेन्दया व नत्थी का उक्त भूमि पर शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस शामलाती चल अचल सम्पति का भी वाहमी रूप से आधा आधा बांट लिया गया उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता नत्थी का करीब 20 साल पूर्व देहान्त हो जाने एवं नत्थी के भाई गेन्दया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:43:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की मृत्यु करीब 16 साल पूर्व हो जाने के कारण उक्त भूमि का नामा0 संख्या 34 दिनांक 15.4.98 को विरासत से आधा प्रतिवादी जगन,तोता व लोहडे के नाम गलत रूप से खोल दिया गया। जो शून्य है। उक्त भूमि पर वादीगण का 1/2 हिस्सा पर काबिज है। जबकि वादीगण व उनके पिता के नाम खसरा गिरदावरी मे नाम अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण जगन,लोहडा व तोता ने एक शामलाती बोरिंग करीब 20–25 वर्ष पूर्व कराई थी जिसमे दोनो ने पैसा खर्च किया एवं आराजी की सिचाई करते चले आ रहे है। वादीगण एवं उसके पिता का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा दिनांक 1.3.08 को भूमि पर देखभाल करने गये तो प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने अपने हिस्से 1/2 भाग पर काश्त नही करने की धमकी दी तथा लाठी डण्डा लेकर आये तथा बेदखल करने की धमकी दी गई। इस प्रकार वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व व कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आराजीयात ख0न0 450 रकबा 1 ऐयर. गैर मुमकिन बोरिंग , 451 रकबा 45 ऐयर, 448 रकबा 29 ऐयर ग्राम खानपुर मे स्थित है। उक्त आराजी साबिक ख0न0 195 रकबा 3 बीघा बारानी से बनाकर सेटलमेट द्वारा अंकित किया है। उक्त आराजी हमेशा से अपीलांट/प्रतिवादी 1 ता 13 की खातेदारी मे रही है। जो इन्हे अपने बुजुर्गो से विरासत मे मिली है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 की बातो पर विश्वास कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे कानून की प्रक्रिया को नही अपनाया गया है। जो गलत है। विधि विरूद्व है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 10 तनकीयात बनाई गई जिसमे से तनकी संख्या 1 ता 8 को सिद्व करने का भार वादी के जिम्मे था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात निर्णय नही करके एक साथ समस्त तनकीयात का निष्कर्ष अंकित कर दिया है। जबकि कानूनन प्रत्येक तनकीयात का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय को करना चाहिए था। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के [illegible] होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा साक्ष्य पेश [illegible] 0/वादी द्वारा कोई जिरह नही की गई। जिससे साफ जाहिर है कि रेस्पो/वादी ने अपीलांट [illegible] प्रस्तुत शपथ पत्र को सही मानकर जिरह नही की गई है। इस तथ्य पर गौर किये बिना [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.03.27 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का दावा डिक्री विरूद्व किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आराजी रेस्पो0 के बड बाबा सोन्या के नाम रही हो तथा सोन्या ने उक्त आराजी को कभी काश्त किया हो, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात को पैतृक मानकर रेस्पो0 को खातेदार घोषित करने मे भारी तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है ना ही मूल खातेदार गुल्ला बल्द बुधा धोबी के वारिसो को मौखिक साक्ष्य पेश नही किया है जिससे उक्त विवादित आराजी को कभी भी सोन्या को काश्त करने बतायी उक्त तथ्य पर गौर नही कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि भूमि हाल ख0न0 450 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन बोंरिग, 451 रकबा 45 ऐयर, 448 रकबा 29 ऐयर जिनका सम्वत 2043 के मिलान क्षैत्रफल मे सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख0न0 195 रकबा 3 बीघा बारानी स्थित ग्राम खानपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिनका फर्द मुताबिक साबिक सम्वत 2000 से 2014 के अनुसार साबिक ख0न0 195 का साबिक ख0न0 141 रकबा 3 बीघा ग्राम खानपुर मे स्थित है। उक्त आराजीयात के मूला बल्द बुधा धोबी सेटलमेंट सम्वत 1984 के आस पास शिकमी काश्तकार था। वादी/रेस्पो0 के बुजुर्ग सोन्या के अपने गांव पदमपुरा को छोडकर अपनी पत्नि तीजो के साथ मय परिवार के अपनी ससुराल खानपुर मे सम्वत 1984 के आस पास आकर रहने लगे उस समय शिकमी खातेदार गुल्ला बल्द बूधा धोबी ने भूमि काश्त नही करने एवं सरकार लगान अदा नही करने तथा दादी तीजो को धर्म बेटी मानकर तथा तीजो के पति सोन्या को जमाई मानने के कारण उक्त आराजीयात को काश्त पर बता दिया गया। सोन्या के तीन पुत्र गेन्दया,नत्थी तथा नोरया थे। वादीगण/रेस्पो0 के पिता नत्थी व भाई नोरया के नाबालिग होने के कारण उक्त आराजीयात परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमि गेन्दया के नाम दर्ज हो गई। जबकि कब्जा तीनो का बराबर था। नोरया अपने नाना के यहॉ गोद चले जाने के कारण उक्त भूमि मे वादीगण के पिता नत्थी व गेन्दया का 1/2, 1/2 हिस्सा के खातेदार रह गये। जिसे 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी/रेस्पो0 द्वारा कराने हेतु ही वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे 10 तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही था जिससे की उक्त आराजी सोन्या के नाम रही हो। जबकि रेस्पो/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 पेश की गई है जिसमे वादी/रेस्पो0 का कब्जा [illegible] द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे कि विवादित आराजीयात पर उस[illegible] सिद्व हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक [illegible] मनन किया जाकर प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात का मूल खातेदार मूल्या बल्द बूधा था। मूल्या द्वारा सोन्या की पत्नि को धर्मबेटी एवं सोन्या को जमाई मानकर उक्त भूमि ख0न0 450,451,448 को काश्त के लिए बताई गई। सोन्या द्वारा अपने जीवनकाल मे प्रतिवादीगण के बुर्जुग गेन्दया बडा लडका कर्ताखानदान होने से गेन्दया के नाम खातेदारी दर्ज करा दी गई। जबकि मौके पर सोन्या के तीनो लडके गेन्दया,नत्थी व नोरया का कब्जा रहा है। नोरया के अपने नाना के यहॉ गोद चले के कारण उक्त भूमि मे सोन्या के दोनो पुत्रो गेन्दया व नत्थी को 1/2 , 1/2 हिस्सा आता है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 1018 प्रदर्श 9 मे विवादित आराजीयात पर गेन्दया व नत्थी की संयुक्त काश्त दर्ज है। विवादित भूमि को पूर्व खातेदार मूल्या द्वारा तीजो के पति सोन्या को जमाई मानकर दी गई थी। जिस पर वादी के पिता नत्थी एवं गेन्दया का बराबर बराबर हिस्सा को काबिज काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादी अपने 1/2 हिस्से को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकार रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के प्रकरण संख्या 34/16 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:56 IST
Reason: SelfAttested